न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 03/2019

1. बद्रीलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र किशोरीलाल जाति मीना निवासी बोडी का बांस महेन्दीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र किशोरीलाल
2. कालूराम पुत्र किशोरीलाल
3. बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल, समस्त जाति मीना निवासी बोडी का बांस मेहन्दीपुर टोडाभीम जिला करौली
4. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 76/2016 डिक्री दिनांक 21.01.2019)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल

निर्णय

दिनांक 29.01.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0न0 76/2016 फाईनल डिक्री दिनांक 21.01.2019 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया की वादी एवं प्रतिवादीगणों की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 67/481 रकबा 0.09 एयर, 68 रकबा 0.01 एयर गैरमुमकिन बोरिंग, 69 रकबा 0.35 एयर, 70 रकबा 0.50 एयर, 71 रकबा 0.09 एयर, 74 रकबा 0.02 एयर, 91 रकबा 0.26 एयर, 92 रकबा 0.01 एयर गैरमुमकिन कुआ, 93 रकबा 0.38 एयर, 94 रकबा 0.59 एयर, 94/483 रकबा 0.10 एयर, कुल किता 11 कुल रकबा 2.40 हेक्टयर स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम, जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03, 3/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 ने मौके पर उक्त आराजी का बहामी बटवारा दावा दायरी से करीब 10 वर्ष पूर्व समाज के पंच पटेलों व प्रतिष्ठित वयक्तियों द्वारा मौके पर करा दिया और मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 03 ने अपने अपने हिस्से को बोते चले आ रहे है लेकिन वादीएवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 03 के मध्य रिकार्डेड बटवारा नहीं होने के कारण आये दिन डोल मेड का विवाद बना रहता है इसलिए दिनांक 12.07.2016 को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 01 ता 03 से तहसील में चलकर विधिवत बटवारा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण नम्बर 01 ता 03 ने विधिवत बटवारा करने के लिये

Scanned by CamScanner

...ील टोडाभीम में चलने से मना कर दिया जिस कारण वादी को यह दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना पडा। अन्त में वादी ने न्यायालय से उक्त आराजी का मुताबिक कब्जा विधिवत बटवारा कराने व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने बाबत वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई थी कि उक्त आराजीयात को हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड बटवारा किया जाकर तथा लगान व खाता अलग किया जावे। प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा से इस आशय से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत ना तो स्वयं करे ना ही अन्य दीगर व्यक्ति से करावे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय गलत, कानून के खिलाफ व रिकार्ड के पिवरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.05..2017 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण प्रत्येक हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये बटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम से तलब की गई थी। तहसीलदार टोडाभीम ने अधिनस्थ न्यायालय में पूर्व में बटवारा स्कीम प्रस्तुत की थी। वादपत्र में वर्णित भूमि के संबंध में पूर्व में बटवारा स्कीम दिनांक 03.07.2017 प्रस्तुत की थी तथा उक्त बटवारा स्कीम पर प्रतिवादी बद्रीलाल द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी दिनांक 06.10.2017 को न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम ने दरखास्त ऐतराज बटवारा स्कीम पर बहस सुनकर दरखास्त ऐतराज बटवारा स्कीम स्वीकार की गई है तथा तहसीलदार टोडाभीम को दोनो पक्षो की उपस्थिति दोनो पक्षो के हस्ताक्षर कराने तथा नक्शा ट्रेस पर भी दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर कराये जाने के आदेश प्रदान किये थे। यह आदेश न्याालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के आदेशिका दिनांक 06.10.2017 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के आदेश दिनांक 06.10.2017 की तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पालना नहीं करके गलत व अवैध रूप से वादी से साज कर के व नियम विरूद्ध बटवारा स्कीम तैयार कर भिजवायी है। इस भूमि में प्रतिवादी बद्रीलाल हिस्सा 1/4 का खातेदार है। वादी व प्रतिवादीगण चारो खास भाई है तथा सभी का हिस्सा बराबर 1/4 है। चारो भाई के कुछ हिस्से में आबादी हो रही है तथा इस भूमि के पश्चिम की तरफ ग्रेवल सडक है, आम रास्ता है तथा इस सडक के सहारे सहारे चारो भाईयो का

29.1.2...
अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

का हिस्सा है यानी प्रतिवादी बद्रीलाल का इस सडक की तरफ हिस्सा 1/4 पर कब्जा है। इस तथ्य को प्रतिवादी बद्रीलाल ने अपने जवाब दावा व काउन्टर क्लेम दिनांक 30.01.2017 में वर्णन किया है, काउन्टर क्लेम भी स्वीकार किया गया है। ग्रेवल सडक की तरफ जमीन की कीमत काफी है, प्रतिवादी बद्रीलाल को आम रास्ते की ग्रेवल सडक की तरफ बटवारा स्कीम में भूमि नहीं देकर पीछे की तरफ दे दी है तथ कीमती जमीन अकेले वादी को दे दी है चूकि चारो भाई एक ही बाप की संतान है तथा सभी को बराबर का हिस्सा व अच्छे में से अच्छा व बुरे में से बुरा मिलना चाहिए। प्रतिवादी बद्रीलाल के खिलाफ अन्याय किया गया है। यह बटवारा स्कीम पटवारी हल्का व गिरदावर ने साज करके तैयार की है तथा तहसीलदार टोडाभीम ने भी इस बटवारा स्कीम पर काउन्टर हस्ताक्षर किये है। न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री व आदेश दिनांक 06.10.2017 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि तहसीलदार टोडाभीम मौके पर जाकर बटवारा स्कीम तैयार करे लेकिन यह बटवारा स्कीम पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा तैयार की गई है तथा हस्ताक्षरित की गई है। तहसीलदार टोडाभीम के मात्र काउन्टर हस्ताक्षर (सी.एस.) है इससे साबित है कि तहसीलदार टोडाभीम ने मौके पर जाकर कोई बटवारा स्कीम तैयार नहीं की है। कानूनन तहसीलदार टोडाभीम को जो न्यायालय द्वारा आदेश प्रदान किये गये है उनको सबलेट पटवारी हल्का व गिरदावर को नहीं जा सकते है। इस प्रकार न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के आदेश का स्पष्ट रूप से उल्लघंन करते हुये गलत व गैरकानूनी रूप से यह बटवारा स्कीम भिजवायी गई है। इस बटवारा स्कीम व ट्रेस पर न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम के आदेशानुसार प्रतिवादी बद्रीलाल के हस्ताक्षर नहीं है ना ही किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर है। प्रतिवादी बद्रीलाल को इस बटवारा स्कीम के संबंध में कोई जानकारी किसी भी प्रकार की नहीं है। ना ही कार्यालय पटवार मण्डल साकरवाडा द्वारा नोटिस दिया गया है ना ही तामील हुआ है। प्रतिवादी बद्रीलाल व उसके परिवार के सदस्य ग्राम मेहन्दीपुर में ही अपने परिवार सहित निवास करते है। पटवार मण्डल साकरवाडा द्वारा जो नोटिस देना बताया है वह नोटिस चस्पा किया बताया गया है तथा जिन दो गवाह मोहनलाल व पृथ्वीलाल के हस्ताक्षर बताये गये है उनकी बल्दियत, जाति, निवास, उम्र आदि दर्ज नहीं है। नोटिस की तामील अवैध व कानून के प्रावधान के तहत नहीं है तथा उक्त नोटिस की जानकारी प्रतिवादी बद्रीलाल को नहीं थी। इस प्रकार यह बटवारा स्कीम में प्रतिवादी बद्रीलाल की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है। इस बटवारा स्कीम में प्रतिवादी ब्रदीलाल को पीछे की तरफ जमीन दी गई है तथा वादी रामखिलाडी को आम रास्ता ग्रेविल सडक की तरफ जमीन दी गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। यह बटवारा स्कीम प्रतिवादी बद्रीलाल को मान्य नहीं है तथा गलत व अवैध है तथा रिलिफ चाही है कि बटवारा स्कीम के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि

Scanned by CamScanner

बवारा स्कीम दिनांक 08.01.2018 निरस्त की जावे तथा पुनः विवादित भूमि के संबंध में पुनः बटवारा अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी तथा आदेश दिनांक 06.10.2017 की पालना करते हुये पुनः बटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम को तैयार करने का आदेश प्रदान किया जावे। इस संबंध में अपीलांट द्वारा उक्त तथ्यों का वर्णन करते हुये एक आवेदन पत्र आपत्ति बटवारा स्कीम की लिखित में प्रस्तुत की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति बटवारा स्कीम का आवेदन पत्र भी दिनांक 21.01.2019 को गलत व अवैध रूप से खारिज कर दिया है तथा इस आदेश की रिविजन करने का भी समय नहीं देकर दिनांक 21.01.2019 को वादी फाईनल डिक्री कर दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने साजशी तौर पर कानून के प्रावधानों की अवहेलना कर फाईनल डिक्री वादी के हक में पारित की है। इसलिए अपील स्वीकार फरमायी जाकर आदेश व डिक्री अदालत मातहत उप जिला कलक्टर, टोडाभीम का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमावे।

रेस्पोडेन्टान के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि अपीलांट ने अपील गलत व अवैध रूप से पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री वैध रूप से हुयीं है। बटवारा स्कीम मुताबिक कब्जा व खातेदारी सही तैयार की गयी है रेस्पो0 एवं अपीलांट की पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 67/481 रकबा 0.09 एयर, 68 रकबा 0.01 एयर गैरमुमकिन बोरिंग, 69 रकबा 0.35 एयर, 70 रकबा 0.50 एयर, 71 रकबा 0.09 एयर, 74 रकबा 0.02 एयर, 91 रकबा 0.26 एयर, 92 रकबा 0.01 एयर गैरमुमकिन कुआ, 93 रकबा 0.38 एयर, 94 रकबा 0.59, 94/483 रकबा 0.10 एयर, कुल किता 11 कुल रकबा 2.40 हेक्टयर स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम, जिसमें रेस्पो0 का 3/4 हिस्से का एवं अपीलांट 1/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा दावा दायरी से करीब 10 वर्ष पूर्व समाज के पंच पटेलो व प्रतिष्ठित वयक्तियों द्वारा मौके पर करा दिया और मौके पर अपीलांट एवं रेस्पो0 अपने अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अपीलांट एवं रेस्पो0 के मध्य रिकार्डेड बटवारा नहीं होने के कारण आये दिन डोल मेड का विवाद बना रहता है इसलिए दिनांक 12.07.2016 को रेस्पो0 ने सभी भाइयो से तहसील में चलकर विधिवत बटवारा कराने को कहा तो अपीलांट ने विधिवत बटवारा करने के लिये तहसील टोडाभीम में चलने से मना कर दिया जिस कारण रेस्पो को दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना पडा। ग्रेवल सडक कौनसे नम्बर मे है यह नही बताया गया है। दिनांक 17.09.2017 को कालूराम, बाबूलाल पुत्रान किशोरीलाल ने अधिनस्थ न्यायालय में बंटवारा स्कीम दिनांक 03.07.2017 के अनुसार बंटवारा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जरिये शपथ पत्र जाहिर किया है। दिनांक 08.01.2018 की बंटवारा स्कीम पर आपत्ति किये जाने पर दिनांक 20.09.2018 को जवाब आपत्ति प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री वैध रूप से हुयी है। बटवारा स्कीम मुताबिक कब्जा व खातेदारी सही तैयार की गयी है पूर्व

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

पर स्कीम पर प्रतिवादीगण को सुना गया था, आपत्ति होने पर पुनः बटबारा स्कीम मंगवायी गयी थी दोनो ही पक्ष उपस्थित हुये थे। बटबारा स्कीम पर सुना गया था, जहॉ पर वादीगण काबिज थे, वही भूमि वादीगण को दी गयी है। निर्णय में कोई गलती नहीं हुयी है। अदालत मातहत का निर्णय पूर्ण विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तहत न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। वाद संख्या 76/2016 की आदेशिका दिनांक 08.05.2017 में उप जिला कलक्टर टोडोभीम (करौली) ने आदेशित किया है कि " मुताविक हिस्सा जमाबंदी तकस्मा कराने दावा मय काउण्टर क्लेम डिक्री किया जाता है पर्चा डिक्री जारी हो तहसीलदार टोडाभीम को रू. 250/–पर बंटवारा कमीश्नर नियुक्त किया जाता है।" इसकी पालना में उप जिला कलक्टर टोडाभीम को तहसीलदार टोडाभीम द्वारा बंटवारा स्कीम दिनांक 05.07.2017 को भेजी गयी है जिस पर पटवारी व गिरदावर के हस्ताक्षर है व तहसीलदार द्वारा काउण्टर हस्ताक्षर (सी.एस.) किये गये है। इस बंटवारा स्कीम पर बद्रीलाल अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.07.2017 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी। जिसे तहत न्यायालय द्वारा 06.10.2017 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम को आदेशित किया कि दोनों पक्षकारो की उपस्थिति में नई बंटवारा स्कीम तैयार की जावे तथा बंटवारा स्कीम पर दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर करवाया जाये तथा नक्शा ट्रेस पर भी दोनो पक्षकारो के हस्ताक्षर करवाये जावे। इस आदेश पर तहसीलदार टोडाभीम को चाहिए था कि मौके पर बंटवारा स्कीम तैयार करने हेतु तिथि निर्धारण कर सभी पक्षकारो को मौके पर उपस्थित होने के लिए अपने कार्यालय से विधिवत नोटिस जारी करते, परन्तु ऐसा न कर पटवारी हल्का द्वारा नोटिस जारी किये है। पटवारी हल्का व भू अभि. निरीक्षक के द्वारा दिनांक 08.01.2018 को बंटवारा स्कीम तैयार की गयी। इस स्कीम पर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किये गये है। तहसीलदार, टोडाभीम द्वारा उप जिला कलक्टर को प्रेषित पत्रांक 296 दिनांक 19.01.2018 में भी बंटवारा स्कीम तैयार करवाकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लिखित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए थी परन्तु तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट नहीं तैयार की गयी है बल्कि अपने अधिनस्थ पटवारी व आई.एल.आर. से बंटवारा स्कीम तैयार करवा कर प्रतिहस्ताक्षर कर उपखण्ड अधिकारी करौली को प्रेषित कर दी गयी है। यह राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम,1955 के नियम 18 से 21 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप नही है, दिनांक 08.01.2018 को तैयार की गयी बंटवारा स्कीम पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है न ही उनकी अनुपस्थिति बाबत लिखा गया है।

29.1.20
उप अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

प्रकार तैयार की गई बंटवार स्कीम विधि अनुरूप नही है। इस बंटवारा स्कीम के आधार पर अंतिम डिग्री जारी करने मे विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के मु0न0 76/16 निर्णय व डिग्री दिनांक 21.1.2019 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार पक्षकारो को विधिवत नोटिस जारी करे, पक्षकारो की उपस्थिति मे स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार करे। तहसीलदार से बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के यहॉ दिनांक 25.2.2020 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

29.1.20

(बी.एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.02.27 14:47:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: